

राजस्थान - सरकार
कार्यालय रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जैसलमेर



क्रमांक : 74

दिनांक : 26-4-2018

संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, "माँ पनोधराय गौ सेवा समिति जैसलमेर" का पंजीयन इस कार्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक 32/जैसल/2010-11 दिनांक 11.05.2010 को राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के तहत किया गया है।

आज दिनांक 26.4.2018 को इस संस्था का नाम परिवर्तन कर के "श्री पनोधराय गौ सेवा समिति चांधन (जैसलमेर)" कर दिया गया है।

यह संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र आज दिनांक 26.4.2018 माह अप्रैल सन दो हजार अठारह को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(सुजनाराम)

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर



राजस्थान सरकार
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर
कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार) गौशाला
पशुधन भवन परिसर, टॉक रोड, लालकोठी जयपुर, 302015

संशोधित पंजीयन प्रमाण-पत्र


अध्यक्ष, मां पनोधराय गौ सेवा समिति, बासनपीर जिला जैसलमेर से प्राप्त प्रपत्र IX, लिखित प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर मां पनोधराय गौ सेवा समिति, बासनपीर जिला जैसलमेर का स्थान परिवर्तन कर श्री पनोधराय गौ सेवा समिति, ग्राम चांदन, जैसलमेर हेतु निवेदन किया गया है। अतः उक्त आधार पर राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 1174/2011 द्वारा पंजीकृत मां पनोधराय गौ सेवा समिति, बासनपीर जिला जैसलमेर के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए " श्री पनोधराय गौ सेवा समिति, ग्राम चांदन, जैसलमेर " किया जाता है।

Sal'
रजिस्ट्रार गौशाला/संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर।

एफ. 3()निगो/गौपंसु/संशोधन/16/1632-33
जयपुर, दिनांक: (2.6.18)

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जैसलमेर।
- ✓ 2. श्री पनोधराय गौ सेवा समिति, ग्राम चांदन, जैसलमेर।


रजिस्ट्रार गौशाला/संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी)
निदेशालय गोपालन राजस्थान, जयपुर